न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी सुनीता चौधरी.आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2017/00052 (226/2017) एल.आर. एक्ट

नियाजुलहक पुत्र श्री अब्दुल रजाक जाति मुसलमान, निवासी चूरू।
अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) चूरू पैरोकारराज

रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– श्री रोशन अली – अभिभाषक अपीलांट
श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 27–07–2021

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी चूरू के निर्णय दिनांक 15–05–2017 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू के संमक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट जमाबंदी संम्वत 2010 में जागीरदार की हैसियत से भूमि धारण करने वाले जागीरदार मन्दिर श्री लक्ष्मीनाथ जी ग्राम देपालसर के खसरा नं. 182 गत खसरा नं. 91 तादादी 44 बीधा 3 बिस्वा भूमि पर काश्तकार की हैसियत से संवत 2012 के पूर्व से ही काबिज काश्तकार रहे। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का नाम खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज किया जाना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 में कवर नही होने का हवाला देते हुवे खारिज कर दिया। जिसके विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. उक्त आदेश के विरूद्व यह अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेंन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस पेश कर कहा कि रोहि ग्राम देपालसर तहसील चूरू के खेत खसरा नं. 182 गत खसरा नं. 91 तादादी 44 बीधा 3 बिस्वा भूमि है जो मन्दिर श्री लक्ष्मीनाथजी के जागीर के रूप में दर्ज रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2010 से चली आ रही है, जिसमे अपीलार्थी के पिता स्व. अब्दुल रजाक पुत्र करीम बक्स जाति तेली साकिन चूरू बतौर काबिज काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। अब्दुल रजाक के देहान्त के बाद अपीलार्थी व उनके भाई के नाम इन्तकाल सं. 152 सन् 1991 से दर्ज रिकार्ड हुआ है। अपीलान्ट द्वारा भूमि का लगान सरकार को नियमित जमा करवाया जाता रहा है परन्तु सम्वत 2048 में राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 2–4 (राज.) 14190/37 दिनांक 12.12.1991 एवं तहसीलदार चूरू के आदेश दिनांक 10.02.1992 के अनुसरण में अपीलार्थी तथा उनके भाई इरशादुलहक का नाम बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये व बिना नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये अपीलान्ट का नाम हटा कर उक्त भूमि को मन्दिर श्री लक्ष्मीनाथजी के नाम खातेदारी दर्ज कर रिकार्ड मे अंकन कर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.07.2015 अनवानी तारा व अन्य बनाम स्टेट की गलत व्याख्या करते हुऐ अपीलान्ट का धारा 136 का प्रार्थना पत्र खारिज करने मे गलती की है तथा राज्य सरकार के द्वारा समय– समय पर जारी सर्कुलरो की अनदेखी की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.5.17 को निरस्त करते हुए राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट को खातेदार काश्तकार दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

5. राजकीय अभिभाषक ने लिखित बहस पेश कर कहा कि तहसीलदार चूरू द्वारा जमाबन्दी संवत 2048 में अपीलार्थी का नाम राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12.12.91 की पालना में हटाया गया है। उक्त परिपत्र जब तक अस्तित्व में रहेगा, तब तक उक्त प्रकरण धारा 136 एल आर एक्ट का नही बनता है। क्योकि धारा 136 एल आर एक्ट मात्र

रिकॉर्ड दुरूस्ती एवं लिपीकीय त्रुटि को शुद्ध करने के लिए ही है। उक्त प्रकरण मन्दिर माफी की भूमि का है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 24.05.2007, 06.01.2010, 25.11.2011 एवं 18.09.2019 के तहत अपीलार्थी किसी भी प्रकार की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है। उपखण्ड अधिकारी चूरू का आदेश एवं इन्तकाल पूर्णतः विधि सम्मत है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज योग्य है।

6. तहसीलदार चूरू की ओर से लिखित बहस पेश हुई। लिखित बहस में कहा कि यह ग्राम देपालसर तहसील के रकबा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 182 तादादी 11.1667 हैक्टेयर मन्दिर श्री लक्ष्मीनाथजी की खातेदारी में दर्ज है। अपीलान्ट ने राज्य सरकार के मन्शा के विरूद्व राज्य सरकार द्वारा जारी उन परिपत्रो की गलत फाईन्डिग कर नाबालिग मन्दिर मुर्ति की कृषि भूमि को धारा 136 के तहत वाद प्रस्तुत कर अपने नाम से खातेदारी दर्ज करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट आदेशानुसार शास्वत नाबालिग मन्दिर मूर्ति की भूमि की न केवल रक्षा की जावे अपितु उसमे अतिक्रमियो को बेदखल कर यदि किसी प्रकार का इन्तकाल दर्ज भी हो गया हो तो विलोपित कर पुनः मन्दिर माफी के नाम दर्ज किये जाने के निर्देश दिये गये है। अपीलान्ट ने कानून की मन्शा को धता बताकर अपनी अपील में राजस्व विभाग के परिपत्र में जिन तीन परिपत्रो दिनांक 24.05.2007, 06.01.2010, 25.11.2011 कें अनुरूप परिपत्रो को इन्टपटेशन किया है वो बिल्कुल गलत किया है क्योकि परिपत्रो में यह स्पष्ट दर्ज है कि मन्दिर मूर्ति की खातेदारी के सम्बन्ध मे परिपत्र कतई लागू नही होते है। राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अनुसार मन्दिर मूर्ति शास्वत नाबालिग होने से उस पर किसी ऐसे व्यक्ति जो मन्दिर माफी की भूमि को कास्त करता हो के नाम से खातेदारी के अधिकार प्रोद्यूत नही किये जा सकते और ना ही कानून देव मूर्ति देव भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति यहा तक की पुजारी को भी खातेदारी के अधिकार नही दिये गये है। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मूर्ति मन्दिर श्री रामचन्द्रजी बनाम मुन्नीदेवी 1997 आर आर डी 418 में न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट उल्लेख किया है कि देव मूर्ति शास्वत अव्यस्क है। देव मूर्ति

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

की भूमि पर किसी भी समय से पुजारी, सेवायत,प्रबन्धक या उपकृषक या कोई भी कृषि करे वह भूमि देव मूर्ति मन्दिर की खुदकास्त भूमि मानी जावेगी। ऐसी भूमि को कास्त करने वाले के पक्ष में कतई खातेदारी का अधिकार प्रोद्यूत नही किये जा सकते है। राजस्थान सरकार द्वारा अपने नवीनतम परिपत्र दिनांक 18.09.2019 क्रमांक प–3 (2) राज–6/2007/पार्ट/101 से निर्देशित किया गया है कि राजस्थान भूमि सुधार तथा जागिर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 में मन्दिर माफी की भूमि को सदैव अव्यस्क मानते हुए धारा 9 से मुक्त करते हुए मन्दिर की भूमि पर किसी व्यक्ति अथवा पुजारी को खातेदारी अधिकार नही दिये जाने का स्पष्ट दिशा निर्देश दिये गये है। वादगत भूमि मन्दिर माफी की है जो मन्दिर की सेवा पूजा अर्चना हेतु पुजारी या कास्तकार कृषि भूमि को कास्त कर भोग प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। जबकि यहा मन्दिर की भूमि के विपरित अपीलान्ट मन्दिर सम्पदा को नष्ट करने पर आतुर होकर कार्यवाही संस्थित कर रहा है, इसलिये न केवल अपीलान्ट को वादगत भूमि से बेदखल किया जावे अपितु लम्बी समायावधि में उसके द्वारा की जा रही कास्त में मन्दिर की सेवा पूजा अर्चना हेतु द्रव्य भी दिलाये जाये।

7. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/अध्ययन किया। न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है।

    1. अपीलान्ट ने अपील में मुख्य रूप से यह आधार लिया कि जमाबंदी संम्वत 2010 मे जागीरदार की हैसियत से भूमि धारण करने वाले जागीरदार मन्दिर श्री लक्ष्मीनाथ जी ग्राम देपालसर के खसरा नं. 182 गत खसरा नं. 91 तादादी 44 बीधा 3 बिस्वा भूमि पर प्रार्थी का नाम खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज किया जावे।
    2. अपीलान्ट के पूर्वज जमाबन्दी सम्वत 2010 से काबिज काश्तकार है। इन्तकाल संख्या 152 सन् 1991 में अपीलार्थी व उनके भाई के नाम दर्ज हुआ।
    3. सम्वत 2048 में राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 12.12.1991 का हवाला देते हुए तहसीलदार ने दिनांक 03.05.1993 को नोट

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

लगाकर अपीलार्थी का नाम रिकॉर्ड से हटा कर मन्दिर श्री लक्ष्मीनाथजी के नाम करने के आदेश दिये।

4. उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी चूरू में प्रार्थना पत्र धारा 136 के तहत संशोधन व दुरूस्ती चाही। जिस पर उपखण्ड अधिकारी चूरू ने अपीलान्ट का धारा 136 एल.आर. एक्ट. का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

5. उपखण्ड अधिकारी चूरू ने धारा 136 एल.आर.एक्ट. के आवेदन को निर्णित करने में स्पष्टताः नही बरती और ना ही मामले की पूर्ण जांच की। उनको मामले की पूर्ण जांच करनी चाहिए थी तथा स्पष्ट आदेश पारित करना चाहिए था, ऐसा नही करने पर इस न्यायालय के समक्ष यह विवाद प्रस्तुत हुवा। लिहाजा यह अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार करते हुवे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15--05–2017 को निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी चूरू को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता हे कि प्रकरण की पुन जांच कर उभय पक्ष को सुनकर, तथा राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर जारी सर्कुलरो की पूर्ण व्याख्या करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक **27–07–2021** को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनीता चौधरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर